

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक...../पटना, दिनांक.....
03/सह0ब0योजना (आवंटन)-02/2026

प्रेषक,

अभय कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

संयुक्त सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत वेजफेड के त्रि-स्तरीय सहकारी श्रृंखला के सुदृढीकरण एवं विस्तार के उद्देश्य से 50 प्रखंड स्तरीय आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु प्रति PVCS रु0 1,12,23,309/- (एक करोड़ बारह लाख तेईस हजार तीन सौ नौ) की दर से कुल राशि रु0 56,11,65,450 (छप्पन करोड़ ग्यारह लाख पैंसठ हजार चार सौ पचास) मात्र के योजना की स्वीकृति एवं योजनान्तर्गत रु0 20,94,77,990/- (बीस करोड़ चौरानवें लाख सत्तहतर हजार नौ सौ नब्बे) मात्र के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-290, दिनांक-19.08.2026 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम में निम्नांकित बजट शीर्ष के सामने कॉलम-3 में अंकित राशि का आवंटन दिया जाता है:-

क्र. सं.	बजट शीर्ष	आवंटित राशि (रुपये में)
1	2	3
1.	मांग संख्या-09, मुख्य शीर्ष-2425 सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-108-अन्य सहकारी समितियों को सहायता, उप शीर्ष-0116 सब्जी आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष-31-सहायता अनुदान, विषय शीर्ष-05-सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण, विपत्र कोड-09-2425001080116	8,94,16,650/-
2.	मांग संख्या-09, मुख्य शीर्ष-2425 सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0103 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष-31-सहायता अनुदान, विषय शीर्ष-05-सहायक अनुदान परिसम्पतियों का निर्माण, विपत्र कोड-09-2425007890103	1,79,57,295/-
3.	मांग संख्या-09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-108-अन्य सहकारी समितियों में निवेश, उप शीर्ष-0166-सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष-54 निवेश, विषय शीर्ष-01-निवेश, विपत्र कोड-09-4425001080166	4,59,87,500/-
4.	मांग संख्या-09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-6425 सहकारिता के लिए कर्ज, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-108-अन्य सहकारी समितियों को कर्ज, उप शीर्ष-0120-सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष-55-ऋण एवं अग्रिम, विषय शीर्ष-01-ऋण एवं अग्रिम, विपत्र कोड-09-6425001080120	4,71,37,895/-

5.	मांग संख्या-09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-6425-सहकारिता के लिए कर्ज, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0101 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष-55-ऋण एवं अग्रिम, विषय शीर्ष-01-ऋण एवं अग्रिम, विपत्र कोड -09-6425007890101	89,78,650 / -
	कुल योग	रु. 20,94,77,990 / - (बीस करोड़ चौरानवें लाख सत्तहतर हजार नौ सौ नब्बे)

2. उपर्युक्त आवंटन वित्त विभाग के पत्र सं0-236/वि0, दिनांक-09.03.2026 के अंतर्गत बिहार विनियोग (संख्या-02) अधिनियम, 2026 एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या-314/वि0, दिनांक-01.04.2026 के आलोक में दिया जा रहा है। वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561, दिनांक-17.04.1998 में निहित शर्तों/अनुदेशों का अनुपालन किया जाना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यक होगा।

3. आवंटित राशि का नियमानुसार व्यय करते हुए उक्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार को उपलब्ध कराया सुनिश्चित करेंगे।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अभय कुमार सिंह),
सरकार के अपर सचिव।

प्रतिलिपि:- ज्ञापांक-...../पटना, दिनांक-.....
महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफा में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव।

प्रतिलिपि:- ज्ञापांक- 26(आ) /पटना, दिनांक- 27/08/26
संयुक्त सचिव -सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा-06)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/विपत्र लिपिक (दो मूल प्रतियों में)/विभागीय आई०टी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।


25.08.26
सरकार के अपर सचिव।